# VISION IAS

www.visionias.in

## GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1391)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name of Candidate | KRITIKA | | |
| Medium Eng./Hindi | HINDI | Registration Number | 691621 |
| Center | Online | Date | 22/11/20 |

### INDEX TABLE

| Q. No. | Maximum Marks | Marks Obtained |
|---|---|---|
| 1 | 12.5 | |
| 2 | 12.5 | |
| 3 | 12.5 | |
| 4 | 12.5 | |
| 5 | 12.5 | |
| 6 | 12.5 | |
| 7 | 12.5 | |
| 8 | 12.5 | |
| 9 | 12.5 | |
| 10 | 12.5 | |
| 11 | 12.5 | |
| 12 | 12.5 | |
| 13 | 12.5 | |
| 14 | 12.5 | |
| 15 | 12.5 | |
| 16 | 12.5 | |
| 17 | 12.5 | |
| 18 | 12.5 | |
| 19 | 12.5 | |
| 20 | 12.5 | |

**Total Marks Obtained:**

**Remarks:**

### INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in ENGLISH & HINDI
   इसमें बीस प्रश्न हैं जो अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar Delhi- 110009

# EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ न लिखें)

**Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.**
**12.5X20=250**

1. Enumerate important privileges enjoyed by each House of Parliament collectively and its members individually and also discuss their significance.
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से एवं उसके सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपभोग किये जाने वाले प्रमुख विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध कीजिए और साथ ही उनके महत्त्व की भी चर्चा कीजिए।

अनु०105 में संविधान द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को विशेषाधिकार उपलब्ध करवाए गए हैं। ये विशेषाधिकार संसद-सदस्यों की निष्पक्षता, स्वतंत्रता एवं निर्भीकता की सुनिश्चिति करते हैं।

**सामूहिक रूप से उपभोग किए जाने वाले विशेषाधिकार**

- सदन के सत्र से 40 दिन पूर्व एवं 40 दिन बाद तक किसी सांसद को (आपराधिक मामले में छोड़कर) गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- सदन की 'गोपनीय बैठक' के प्रकाशन पर निर्बंधन
- सत्य एवं सदाशय से होने वाले प्रकाशन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- सदन में अधिकारी की अनुमति के बिना किसी उपस्थित व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा उस पर अन्य न्यायिक कार्यवाही सम्भव नहीं है।

**व्यक्तिगत रूप से उपभोग किए जाने वाले अधिकार**

- सांसद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- सदन में सांसद द्वारा व्यक्त वक्तव्य पर किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती।
- सांसद को सत्र के दौरान 'Judicial Service' से छूट

VISION IAS™

**अतिरिक्त विशेषाधिकार** — अनु० 122
① सांसद को संसद की कार्यवाही के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

**विशेषाधिकारों की महत्ता**

- संसदीय कार्यवाही में स्वतंत्र विचार-विमर्श
- विवाद की प्रकृति में उच्चता का स्तर
- बाहरी विनियम एवं न्यायिक प्रक्रिया के भय से मुक्ति
- विधायिका के कार्यों में अन्य अंगों द्वारा हस्तक्षेप में कमी
- सर्चलाइट वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेषाधिकारों को मूल अधिकार (अभिव्यक्ति के) से अधिक महत्व का माना है।

परन्तु साथ ही संहिताकरण का अभाव, दण्ड व्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या का अभाव एवं दल-बदल कानून से विशेषाधिकारों जैसे कुछ मुद्दे हैं, जो विशेषाधिकारों के पूर्ण कार्यान्वय में बाधा हैं।

**आगे की राह** — विशेषाधिकारों के संहिताकरण के संदर्भ में 'NCRWC' की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए। तथा विधि आयोग की '170वीं रिपोर्ट' के आधार पर दल-बदल कानून के ऊपर विशेषाधिकारों के अभिभावी स्वरूप की सिद्धि भी विधायी स्वतंत्रता हेतु आवश्यक है।

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. Give an account of the composition and functions of the Finance Commission as mentioned in the Constitution of India.

भारत के संविधान में यथा उल्लिखित वित्त आयोग की संरचना और कार्यों का विवरण दीजिए।

संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त-आयोग का प्रावधान किया गया है। वित्त-आयोग भारतीय संघवाद के मूल आधार संरचनाओं में से एक है।

**वित्त आयोग की संरचना**

- प्रत्येक 5वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की संस्थापना का प्रावधान है।
- वित्त आयोग की शेष संरचना, नियुक्ति हेतु योग्यता आदि का निर्णय "संसद" द्वारा लिया जाता है।

संसद द्वारा प्रावधान
↓
सदस्य संख्या → 5

अध्यक्ष
↳ योग्यता → सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष अनुभव

शेष 4 सदस्य
↓
i) वित्तीय प्रशासन का विशेष अनुभव
ii) अर्थव्यवस्था के विषय में निष्णात
iii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता
iv) देश की वित्तीय व्यवस्था की विशेष जानकारी

- वित्त आयोग की संरचना के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5वर्ष में नियुक्ति करता है। हालांकि कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है।



For Kritika Mishra...

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

## वित्त आयोग के कार्य →

1. केंद्र द्वारा राजस्व वित्त का बँटवारा →
   a) ऊर्ध्वाधर बंटवारा (केंद्र एवं राज्यों के मध्य)
   b) क्षैतिज बंटवारा (राज्यों के मध्य वितरण व्यवस्था)

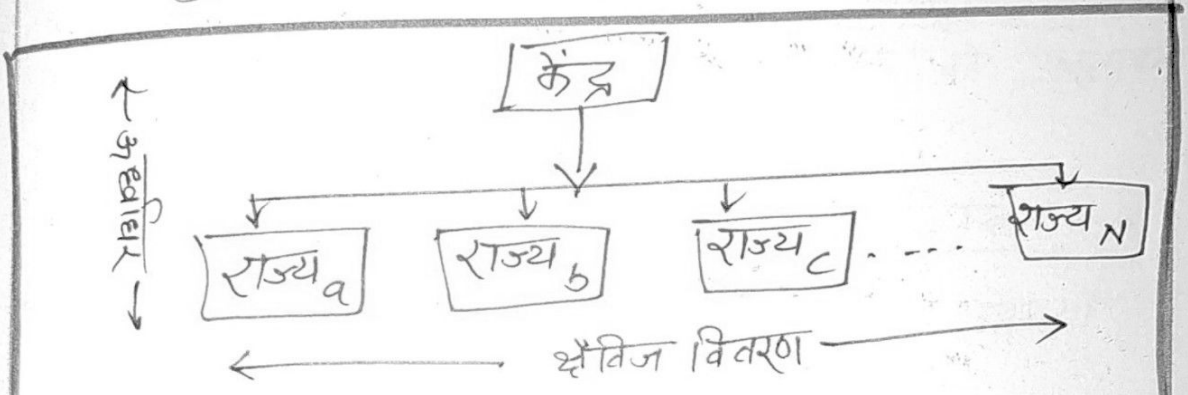




2. केंद्र द्वारा राज्यों के वित्तीय स्रोतों की वृद्धि हेतु उपाय बताना

3. स्थानीय निकायों द्वारा को राज्यों से प्राप्त अनुदान के विषय में उपाय

4. केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों का वितरण।

5. अन्य 'Term of References' जो राष्ट्रपति द्वारा FC को दिए जाएं

इस प्रकार 'सहकारी संघवाद' के वित्तीय स्तम्भ की सफलता मूलतः वित्त-आयोग के द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ न लिखें)

3. Preamble shows the general purposes behind several provisions in the Constitution, and is a key to the minds of the makers of the Constitution. Explain. Also, comment on the amendability of the Preamble.

उद्देशिका संविधान के अनेक प्रावधानों में निहित सामान्य उद्देश्यों को अभिव्यक्त करती है और संविधान निर्माताओं की सोच को समझने की एक कुंजी है। व्याख्या कीजिए। साथ ही, उद्देशिका की संशोधनीयता पर भी टिप्पणी कीजिए।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिदायतुल्ला ने भारतीय संविधान की मूल कुंजी के रूप में 'प्रस्तावना' को इंगित किया था।

**संविधान के सामान्य उद्देश्यों का प्रतिबिम्बन** →

प्रस्तावना सम्पूर्ण संविधान के मूल उद्देश्यों का सारगर्भित प्रतिबिम्बन है –:

(1) सम्प्रभु लोकतंत्र – शेष संविधान भारतीय सम्प्रभुता की सुनिश्चिति करता है।

(2) समाजवादी लोकतंत्र – भारतीय समाजवाद वस्तुतः लोकतांत्रिक समाजवाद है, अनु० 46 से लेकर अनु० 15, 16, 17 एवं 18 तक समाजवाद की स्वीकृति प्राप्त होती है।

(3) पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र – भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता के मूल तत्त्वों को मूल अधिकारों के तहत अनु० 25 से 28 में स्थान प्राप्त है।

(4) गणतांत्रिक लोकतंत्र – भारतीय संविधान एक गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकृत करता है, जहाँ राजप्रमुख निर्वाचित होता है।

(5) सामाजिक - आर्थिक - राजनीतिक न्याय – संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के इस अंश को पूर्ण महत्ता के साथ मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्त्वों एवं अनु० 300 'क' आदि में स्थान प्राप्त है।

(6) स्वतंत्रता – मूल अधिकारों के तहत अनु० 14 से अनु० 19 तक स्वतंत्रता के आयाम को निरूपित किया गया है। स्वतंत्रता भारतीय व्यवस्था एवं संविधान के तहत महत्वपूर्ण नागरिक एवं मौलिक अधिकार है।

VISION IAS

(7) समानता – N.M. थॉमस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि संविधान 'मूल समानता' के पक्ष में प्रतिबद्ध है।

(8) बंधुत्व की भावना – भारतीय संविधान के अनु० 51'क' में बंधुत्व की भावना को भी प्रमुख स्थान दिया गया है।

## प्रस्तावना की संशोधनीयता →

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के प्रश्चात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया है।

केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय (1973)

↓

- प्रस्तावना में संशोधन संभव है;
- परन्तु मूल अवसंरचना को ठेस पहुंचाए बगैर।

इसी प्रावधान के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संवि० संशो० द्वारा संशोधन किया गया एवं समाजवादी; अखण्डता एवं पंथ निरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए।

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

4. Explain the principle of subsidiarity, its importance and discuss how the 73rd constitutional amendment act tries to achieve it.

समनुषंगिता के सिद्धांत व इसके महत्त्व की व्याख्या कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम इसे प्राप्त करने हेतु किस प्रकार प्रयास करता है।

समनुषंगिकता का सिद्धांत व्यवस्था के सभी अंगों की सहभागिता पर आधारित है। व्यवस्था के शासन एवं नीति निर्माण के स्तर पर सभी अंगों का सहभाग एवं समन्वय ही 'समनुषंगिकता' को पुष्ट करता है।

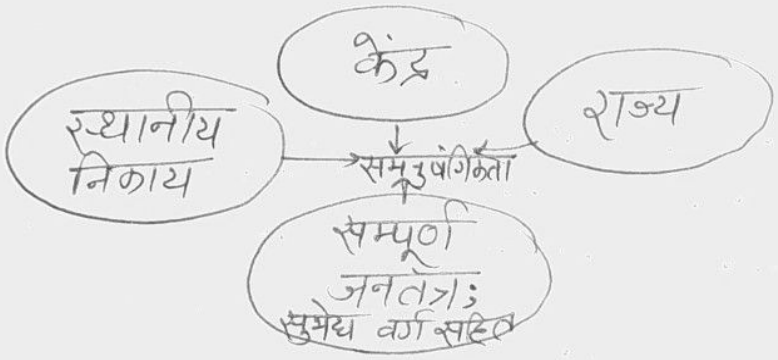


## 73वां संविधान संशोधन →

संविधान के 73वें संशोधन, 1992 के द्वारा स्थानीय निकायों को शासन के एक वैध अंग के रूप में संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया।

## स्थानीय स्वशासन व्यवस्था एवं समनुषंगिकता

(1) ग्राम सभा एवं पंचायतों के द्वारा स्थानीय व्यवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के आधार पर नीति - क्रियान्वयन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) जनता के सर्वाधिक समीप स्थित शासन व्यवस्था

(3) जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व

(4) 'पहुँच के सिद्धांत' की अभिपुष्टि

(5) हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय स्वशासन की महत्वपूर्ण उपस्थिति ने 'समनुषंगिकता' के सिद्धांत को और अधिक पुष्ट किया है।

(6) नीति आयोग द्वारा 'समनुषंगिकता' के सिद्धांत के आधार पर ही अनेक कार्ययोजनाओं का आधार 'स्थानीय निकायों' को रखा है।

(7) नीतियों एवं जनलाभकारी योजनाओं का स्थानीय निकायों द्वारा तृणमूल स्तर पर कार्यान्वयन

उदा० – PDS द्वारा अनाज वितरण, कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रैकिंग एवं क्वारंटाइन सेवा की सुनिश्चिति आदि

(8) महानगरों में भी प्रत्येक क्षेत्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व एवं स्थिति के आधार पर स्थानीय निकाय अपनी महत्वपूर्ण स्थिति का निर्वहन करते हुए 'समनुषंगिकता' के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं।

इस प्रकार स्थानीय निकायों को और अधिक शक्ति एवं क्षमता प्रदान करते हुए समनुषंगिक शासन को सफल बनाया जा सकता है।

5. Explaining the importance of an independent judiciary, highlight the relevant Constitutional provisions that safeguard and ensure the independent and impartial functioning of the Supreme Court.

एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्त्व की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष कार्य पद्धति को सुरक्षित और सुनिश्चित करने वाले प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालिए।

प्रसिद्ध उक्ति है; "न्याय होना ही नहीं चाहिए, वरन् होता हुआ दिखना भी चाहिए।" वस्तुत: न्यायपालिका की स्वतंत्रता ही जनता में न्याय की सुनिश्चित भावना को प्रगाढ़ करती है।

**स्वतंत्र न्यायपालिका की महत्ता**

↓

- जनता में विश्वास
- व्यवस्था का सुचारू कार्यान्वयन
- भय मुक्त समाज का निर्माण
- सुभेद्य वर्ग का कल्याण
- समानता की सिद्धि

**स्वतंत्र न्यायपालिका हेतु संवैधानिक प्रावधान**

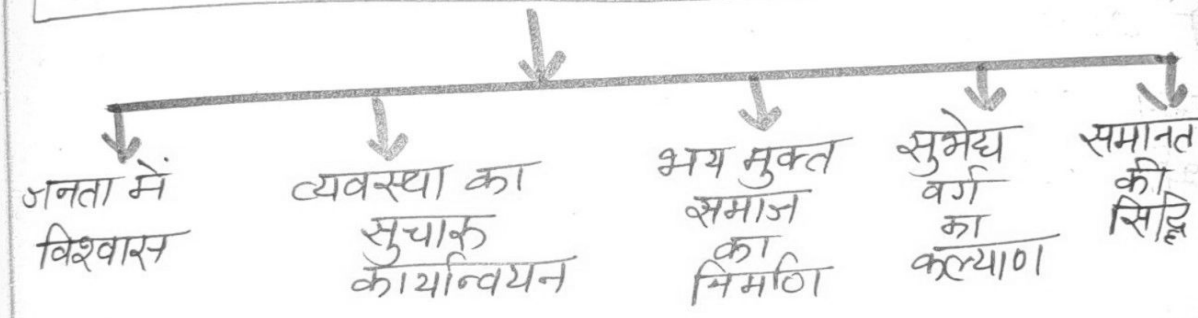

संविधान के भाग-5 में केन्द्रीय न्यायपालिका एवं भाग-6 के अंतर्गत राज्य की न्यायपालिका व्यवस्था के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संचालन हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं –

A] सेवा शर्तें एवं वेतन →

i) सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ~~न्याया~~ का वेतन, पेंशन एवं भत्ते भारत की "संचित निधि" पर भारित हैं।

ii) सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों, कार्यालय एवं कार्यबल के सभी खर्च – 'संचित निधि' पर भारित

iii) उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन-भत्ते 'राज्यों की संचित निधि' पर भारित है।

iv) उच्च न्यायालय के जजों के पेंशन - 'भारत की संचित निधि' पर भारित है।

v) इन सभी न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

B] नियुक्ति के संदर्भ में स्वतंत्रता -

i) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यकारी अतिहस्तक्षेप की अनुपस्थिति

ii) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी कार्यकारी हस्तक्षेप अनुपस्थित

C] कार्यकाल की सुरक्षा -

i) न्यायाधीशों को पद-च्युति के क्षेत्र में भी सुरक्षा प्राप्त है। संसद के द्वारा अति दुष्कर रीति से ही सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदच्युति संभव है।

इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण स्वतंत्रता को संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। 'न्यायिक समीक्षा' के माध्यम से (उदा०- चतुर्थ न्यायाधीश वाद) भी न्यायालय अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखती है।

6. Mention the six freedoms as guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution. Also, comment on the way in which the constitution has attempted to strike a balance between individual liberty and interests of society.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्याभूत छः स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। साथ ही, संविधान ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के हितों के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है, उस पर भी टिप्पणी कीजिए।

भारतीय संविधान के अनु० 19 के अंतर्गत निम्न स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं →

(1) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
(2) शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता
(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता (सहकारी समितियों का गठन भी)
(4) भारतीय राज्यक्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता
(5) भारतीय राज्यक्षेत्र में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता
(6) किसी भी वृत्ति / व्यापार / रोजगार को अपनाने की स्वतंत्रता

**संविधान द्वारा समाज के हितों के सापेक्ष संतुलन स्थापना**

(1) 19(2) के तहत वाक् स्वातंत्र्य पर निर्बंधनों का प्रावधान है, जहाँ देश की सुरक्षा एवं एकता-अखण्डता तथा विदेशों से सम्बन्ध, लोक व्यवस्था, अपराध संलिप्तता आदि के आधार पर निर्बंधन का प्रावधान है।

(2) 19(3) अनु० के अंतर्गत लोक व्यवस्था एवं देश की एकता के आधार पर निर्बंधन है।

Call us : 8468022022, 9019066066

VISION IAS™
Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

उदा०- CrPC की धारा 144 के तहत सम्मेलन पर रोक संभव

(3) अनु० 19(4) के अनुसार लोक व्यवस्था एवं देश की अखण्डता/एकता के आधार पर निर्बंधन
उदा० विशेष संघ-समूहों को UAPA या NSA के आधार पर अवैध ठहराना।

(4) अनु० 19(5) के अनुसार आम जनता के हित में संचरण पर रोक संभव है।
उदा० सर्वोच्च न्यायालय ने वेश्याओं के संचरण पर रोक को वैध बताया।
→ ILP का प्रावधान (N.E. राज्यों हेतु)

(5) अनु० 19(6) के अनुसार आम जनता के हित में निवास को प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
उदा० - पांचवी एवं छठी सूची के राज्यों में भूमि की खरीद पर कुछ सीमा तक रोक के प्रावधान

(6) अनु० 19(8) के तहत संविधान ने लोकहित में तथा योग्यता और सरकारी एकाधिकार के पक्ष में वृत्ति/व्यापार पर भी निर्बंधन का अधिकार दिया है।

आगे की राह — सर्वोच्च न्यायालय एक प्रहरी के समान अनु० 19 की व्याख्या एवं प्रतिबंधों की न्यायिक जांच करता है। इस प्रकार समाज का हित एवं व्यक्तिगत अधिकारों में समन्वय सुनिश्चित किया जा सकता है।

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. With examples, discuss the significance of alternative dispute resolution mechanisms in light of costly and time-consuming litigation process in India.

भारत में महंगी और समयसाध्य वाद प्रक्रिया के आलोक में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के महत्त्व की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

**Alternative Dispute Resolution** → पारम्परिक न्यायिक व्यवस्था से इतर किसी मामले का तीव्र, मितव्ययी एवं योग्य समाधान ADR के अंतर्गत सम्भव है। 'द्वितीय प्रशासनिक आयोग' ने न्याय व्यवस्था के विकल्प के रूप में 'ADR' की महत्ता को स्वीकारा है।

**ADR का महत्व** →

① विशेष क्षेत्र के मामलों का विशेषज्ञता से समाधान
उदा०- परिवार न्यायालय द्वारा पारिवारिक सिविल मामलों का समाधान

② मितव्ययी एवं अधिसंख्य जनता के लिए साध्य
उदा०- लोक अदालतों में किसी प्रकार की फीस का उपबंध नहीं है

③ बिना किसी अधिवक्ता सहायता के भी 'Locus Standi' की प्राप्ति
उदा०- परिवार न्यायालयों में किसी भी पक्ष को अधिवक्ता सहायता प्राप्त नहीं होती, फिर भी न्यायालय द्वारा उन्हें सीधे सुना जाता है।

④ आत्मिक संतुष्टि एवं समझौते के द्वारा 'जीत-हार' की भावना का अंत
उदा०- परिवार न्यायालय एवं

Call us : 8468022022, 9019066066 Visit us : www.visionias.in

लोक अदालतों द्वारा समझौते।

(5) 'Ease of doing business' में सुधार
उदा० – 'Online Dispute Resolution' प्रणाली के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत हेतु सुविधा।
उदाहरण के लिए – ICICI बैंक द्वारा SAMA-ODR का प्रयोग।

(6) समस्या का तीव्र निदान
उदा० – विशेष मानस स्थिति के साथ परिवार न्यायालयों द्वारा तीव्र समाधान

(7) पारम्परिक न्याय व्यवस्था पर बोझ में कमी –
विधि मंत्रालय के अनुसार भारत के न्यायालयों में 3·5 करोड़ मामले लम्बित हैं।

(8) 'न्यायिक विभाजन' की खाई को पाटना –
उदा० – ग्राम न्यायालयों के माध्यम से हर गांव के हर दरवाजे तक न्याय की पहुँच।

**आगे की राह** → विधि आयोग की 59वीं एवं 114वीं रिपोर्ट के अनुसार ग्राम न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों को सुधारा जाए।
→ नीति निदेशक तत्वों [अनु० 39(क)] की सिद्धि हेतु ADR संरचना में सुधार।

ADR का कुशल संचालन नागरिक विश्वास की समृद्धि एवं कुशल व्यवस्था अभिवृद्धि को सुनिश्चित करेगा।

8. Explain why the Indian Constitution has been argued to have created a 'federation with a centralising tendency'.

ऐसा तर्क क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान ने 'केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले एक परिसंघ' को सृजित किया है, व्याख्या कीजिए।

के.सी. व्हेयर ने भारतीय संघीय व्यवस्था को 'Quasi-Judicial' व्यवस्था के रूप में संदर्भित किया है। इसका कारण भारतीय यूनियन की 'Sui-Generis' स्थिति है, जहाँ संघीय व्यवस्था में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।

केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के संघीय प्रावधान →

① कार्यकारी स्वरूप में →

A] संविधान में सातवीं सूची के अनुरूप ही राज्यों एवं केंद्र के पास कार्यकारी दायित्व भी हैं। परन्तु समवर्ती सूची के कार्यकारी दायित्व को 'संसद' निर्धारित कर सकती है।

B] संविधान के अनुसार राज्यों को केंद्रीय कार्यकारी शक्ति में बाधा उत्पन्न करने से निषेध

C] राज्यों को केंद्र के द्वारा कार्यकारी शक्तियों के संदर्भ में दिशानिर्देश

D] अनु० 315 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं को केंद्र के अधीन रखा गया है।

राज्यसभा नवीन A.I.Services का प्रावधान भी कर सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

E] राज्यपाल द्वारा राज्यों में कार्यकारी हस्तक्षेप

F] आपातकाल में राष्ट्रपति के पास कार्यकारी शक्ति का केंद्रीकरण

② विधायी स्वरूप में →

2.1] संविधान की सातवीं सूची के अधीन विधायी शक्ति का बंटवारा; परन्तु समवर्ती सूची में केंद्र अभिभावी

2.2] राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची पर केंद्र द्वारा एक वर्ष तक विधान बनाने की शक्ति

2.3] दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची पर केंद्र द्वारा विधायन

2.4] आपातकाल में राज्यसूची पर केंद्रीय विधायन

③ वित्तीय स्वरूप में –

3.1] वित्तीय आपातकाल

- a) केंद्र द्वारा – राज्यों को मितव्ययिता के निर्देश
- b) राष्ट्रपति द्वारा निर्देश दिए जाने पर राज्य के कर्मचारियों के वेतन में कटौती
- c) राष्ट्रपति द्वारा राज्य के वित्तीय संदर्भों को सुरक्षित रख लेना।

VISION IAS™

इस प्रकार संविधान के द्वारा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाले संघीय स्वरूप की स्थापना की गई है। सरकारिया आयोग ने भी इस स्वरूप को स्वीकारते हुए कहा है - "संघीय सर्वोच्चता देश के कुशल संचालन हेतु अनिवार्य है।"

Call us : 8468022022, 9019066066

Visit us : www.visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. The parliamentary control over government and administration in India is more theoretical than practical. Discuss.
भारत में सरकार और प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण व्यावहारिक की अपेक्षा सैद्धांतिक अधिक है। चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान में संसद के नियंत्रण को कार्यकारी शक्ति पर अंकुश के रूप में स्वीकार किया गया है।

| संविधान में संसदीय नियंत्रण के सैद्धांतिक प्रावधान | वास्तविक स्थिति एवं व्यवहार |
|---|---|
| 1) प्रश्नकाल, शून्यकाल, चर्चाओं आदि के माध्यम से नियंत्रण | ⊙ PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार ये कारक नियंत्रण में पूर्ण सफल नहीं हैं। उदा०– लो.स. में प्रश्नकाल के मात्र 77% एवं राज्य सभा में मात्र 47% समय का उपयोग हो सका<br>⊙ चर्चाओं के माध्यम से भी संसदीय नियंत्रण निष्फल है क्योंकि चर्चा समय का 30 से 40% अंश राजनीतिक डेडलॉक में व्यर्थ |
| 2) धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकार करना, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नियंत्रण | ⊙ विधायिका में कार्यपालिका के ही दल का बहुमत होने के कारण निरर्थक |

| | |
|---|---|
| 3) विपक्ष द्वारा संसदीय नियंत्रण | ⊙ लगातार विधायिका में विपक्ष की स्थिति कमजोर होती जा रही है। |
| 4) संसदीय समितियों के माध्यम से नियंत्रण | ⊙ समितियों को दिए जाने वाले मामलों में लगातार गिरावट हो रही है — 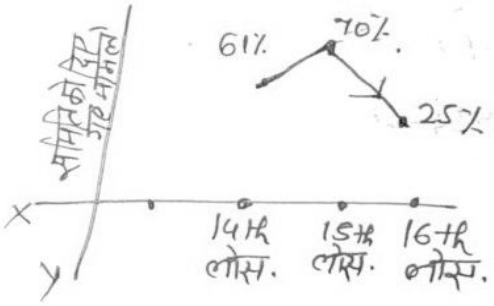  |

इस प्रकार वास्तविकता में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण निरंतर कमजोर होता जा रहा है।

**भविष्य की रणनीति →**

→ सांसदों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वेतन
→ सांसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017 को लागू किया जाए।
→ All India Whips Congress के सुझाव के आधार पर विपक्ष की स्थिति सुदृढ की जाए।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

बिना संसदीय नियंत्रण के कार्यकारी शक्तियों की प्रभावोत्पादक शक्ति कम होती है एवं निरंकुशता की संभावना बढ़ती है।

Visit us www.visionias.in

10. Why did the Constituent Assembly replace the original plan to have elected governors in favour of appointment by the Rresident? Also, bring out the arguments that are raised against the current form of appointment of Governors.

संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल होने की मूल योजना को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल के पक्ष में क्यों प्रतिस्थापित कर दिया? साथ ही, राज्यपालों की नियुक्ति के वर्तमान तरीके के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्कों का भी उल्लेख कीजिए।

भारतीय संविधान में USA के व्यवस्था के विलोम राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त करने की व्यवस्था को स्वीकारा गया है।

**व्यवस्था स्वीकारने के कारण** –

1) आरंभ में राज्यों पर केंद्रीकृत नियंत्रण की आवश्यकता
2) नए संविधान में केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान करना
3) अधिकतः एक ही पार्टी का सभी स्थानों पर सरकार बनाना
4) राज्यों को केंद्र द्वारा सहायता प्रदत्त करना
5) पार्टी के प्रमुख प्रभावशाली वरिष्ठजन को प्रमुख प्रणाली में स्थान दिलवाना
6) जनता द्वारा चयनित राज्यपाल होने से मुख्यमंत्री के साथ उत्पन्न समस्याएं

**वर्तमान में नियुक्ति प्रणाली के विरुद्ध तर्क** –

वर्तमान में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल के नियुक्ति प्रक्रिया को केंद्र द्वारा 'एजेंट' की नियुक्ति से जोड़कर देखा जाता है। जिसके प्रमुख तर्क निम्न है –

A] राज्यपाल द्वारा केंद्र में स्थित दल की राजनीतिक

Call us: 8468022022, 9019066066
Visit us: www.visionias.in

हित पूर्ति।

B] विभिन्न विधेयकों को लम्बित रखना एवं राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रखना।

C] राज्यपाल द्वारा कार्यकारी हस्तक्षेप

D] राजनीतिक हितों के लिए 'राष्ट्रपति शासन' की अनुशंसा

E] राष्ट्रपति को विधानसभा विघटन संबंधी सिफारिशें

G] राज्यपाल द्वारा नियुक्तियों आदि में केंद्र हित पूर्ति

आगे की राह -

→ सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए।

→ SR बोम्मई केस में SC ने स्वीकारा है कि राज्य केंद्र के एजेंट नहीं हैं। अतः इस स्वरूप की रक्षा हेतु गवर्नर की शक्तियों एवं नियुक्ति प्रक्रिया में परिवर्तन की आवश्यकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Explaining the concept of judicial activism, discuss why it is important for courts not to take over the functions of the legislature or the executive.

न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की व्याख्या करते हुए, चर्चा कीजिए कि न्यायालयों के लिए विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों का अतिक्रमण न करना क्यों महत्वपूर्ण है।

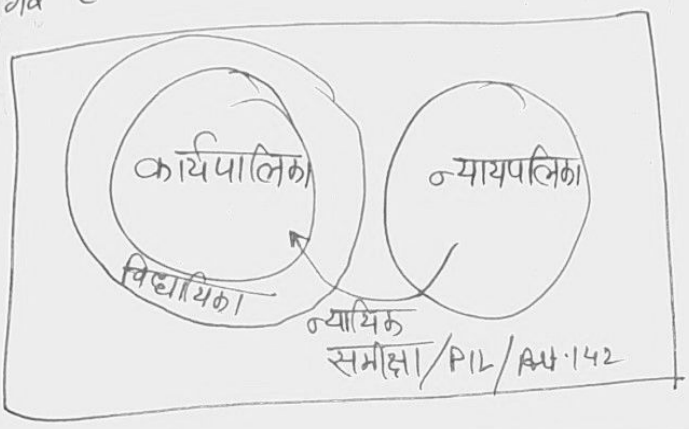

भारतीय संविधान में कार्यकारी एवं न्यायिक क्षेत्रों में शक्ति पृथक्करण व्यवस्था दी गई है -




न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के क्षेत्र का अतिक्रमण

① अनुच्छेद 142 → इस शक्ति के अंतर्गत प्रायः न्यायपालिका 'पूर्ण न्याय' हेतु ऐसे निर्णय करती है जो वस्तुतः कार्यपालिका के क्षेत्र में होते हैं।

उदा० → National Highway के 500 मी॰ के अंतर्गत एल्कोहल की बिक्री पर रोक का निर्णय

② PIL की अवधारणा - न्यायपालिका PIL के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में निर्णय देती है जिन्हें पूर्ण विधायी प्रक्रिया के पश्चात कार्यपालिका द्वारा तय किया जाना चाहिए।

उदा० → एल्जी एवं समलैंगिकता सम्बन्धी मुद्दों पर SC के निर्णय

(3) न्यायिक समीक्षा → SC द्वारा न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत प्रायः विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को अवैध एवं अमान्य घोषित कर दिया जाता है, भले ही वे निर्णय जनाकांक्षा की अभिव्यक्ति क्यों न हों।

उदा० - चतुर्थ न्यायाधीश वाद में NJC के प्रावधान की समाप्ति

(4) न्यायिक सक्रियता - PIL के रूप में न्यायालय द्वारा किसी रिपोर्ट अथवा पत्र पर भी कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। इस प्रकार की अतिसक्रियता विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए अतिहस्तक्षेप के समान होती है।

**हस्तक्षेप की अनुपस्थिति का महत्व**

यदि न्यायपालिका के द्वारा विधायिका एवं कार्यपालिका के ~~हर~~ कार्यों में हस्तक्षेप न किया जाए तभी निम्न सुनिश्चितियां संभव


For Krinka Mishra(...@gmail.com)

है →




**भविष्य की रणनीति** →

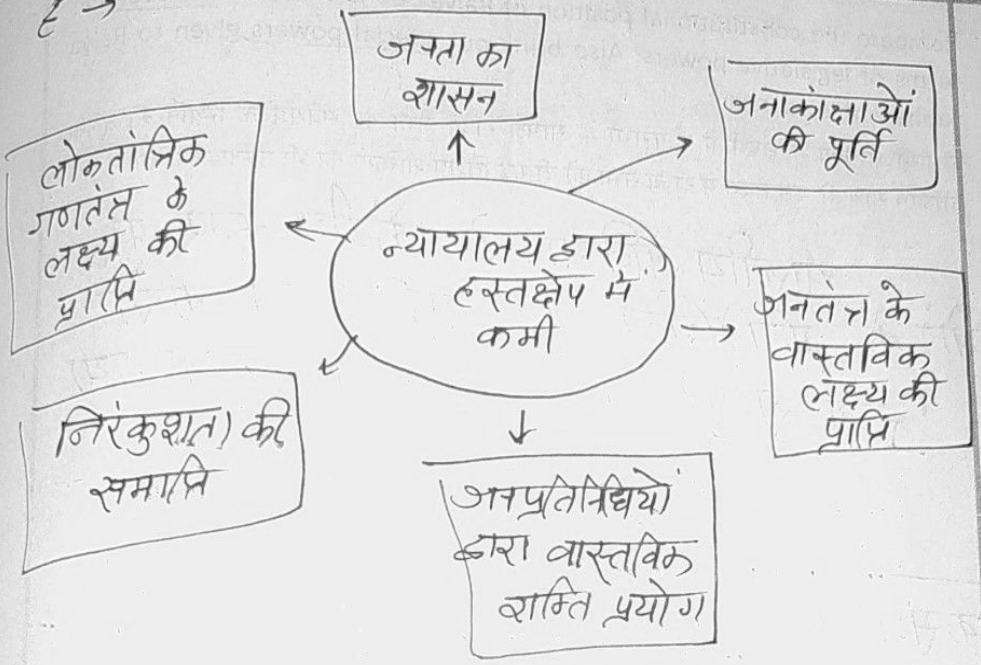

SC के निर्णय के अनुरूप न्यायपालिका को अतिहस्तक्षेप की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों का पालन होना चाहिए।

VISION IAS™

**12.** Compare the constitutional position of Rajya Sabha with the Lok Sabha in terms of legislative powers. Also bring out special powers given to Rajya Sabha in this context.

विधायी शक्तियों के संदर्भ में लोकसभा के सापेक्ष राज्य सभा की संवैधानिक स्थिति की तुलना कीजिए। साथ ही, इस संदर्भ में राज्य सभा को दी गई विशेष शक्तियों का भी उल्लेख कीजिए।

भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु 'राज्य सभा' का प्रावधान किया गया है।

## लोकसभा के संदर्भ में राज्यसभा की स्थिति

| | |
|---|---|
| साधारण विधेयक | लोकसभा एवं राज्यसभा को समान अधिकार। परन्तु गतिरोध की स्थिति में 'संयुक्त सदन' के अंतर्गत लोकसभा की स्थिति उच्च है। |
| धन विधेयक | मात्र लोकसभा में प्रस्ताव राज्यसभा की स्थिति मात्र चर्चा तक सीमित |
| संविधान संशोधन | लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा उच्च स्थिति में |
| राष्ट्रपति का महाभियोग | दोनों सदनों की समान स्थिति |

Call us : 8468022022, 9019066066

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

| राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन | दोनों सदनों की समान स्थिति |
|---|---|
| आपातकाल की अनुशंसा<br>आपातकाल की समाप्ति (प्रस्ताव द्वारा) | दोनों समान स्थिति में<br>लोकसभा को ही अधिकार प्राप्त |

## राज्यसभा को प्राप्त विशेष शक्तियाँ

→ राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के अनुसार राज्य सूची पर केंद्र सरकार को विधायन की शक्ति

→ राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन

→ विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त सदस्यों के कारण चर्चाओं की उच्च गुणवत्ता

→ स्थायी सदन की विशेषता, विघटन असंभव

→ राज्यों के प्रतिनिधित्व की विशेष क्षमता

हालांकि विभिन्न प्रणालीगत समस्याओं के कारण राज्य सभा की स्थिति एवं कार्य-उत्पादकता में कमी आती है-

उदा० [ प्रश्नकाल के 47% समय का ही सही उपयोग होना
चर्चाओं को प्रस्तुत समय में 35% समय का निरर्थक होना ]

Visit us www.visionias.in

भविष्य की रणनीति —

* NCRWC के अनुशंसा के आधार पर राज्य सभा में सदस्यता हेतु उसी राज्य में निवास की अर्हता लागू की जाए।
* पुंछी आयोग के अनुशंसाओं का पालन किया जाए।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. Comment upon the distribution of legislative subjects between the Centre and states. Under what circumstances does the Parliament make laws on matters enumerated in the State list?

केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी विषयों के वितरण पर टिप्पणी कीजिए। किन परिस्थितियों में, संसद राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर विधि बना सकती है?

संविधान की सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण का अनुबंध है –

| | |
|---|---|
| अनुसूची I – केंद्र सूची – | केंद्र द्वारा विधायन |
| अनुसूची II – समवर्ती सूची – | केंद्र एवं राज्य दोनों द्वारा विधायन; केंद्र विधि अभिभावी |
| अनुसूची III – राज्य सूची – | राज्य द्वारा विधायन |

साथ ही संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार को प्रदान की गई हैं।

**केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण**

① राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव → विशेष बहुमत द्वारा
- → 1 वर्ष हेतु लागू
- → इस संदर्भ में राज्यों की विधि निर्माण शक्ति समाप्त नही होती

② दो या अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध
- → राज्यों की शक्ति उस विषय पर समाप्त
- → केवल उन्ही राज्यों

पर केंद्र के कानून लागू, जिन्होंने अनुरोध किया

③ आपातकालीन उपबंध

- अनु० 352 के तहत – राज्यों के विधायन क्षेत्र का राष्ट्रपति को प्राप्त होना
- अनु० 356 के तहत
  - राष्ट्रपति द्वारा विधायन अथवा
  - राष्ट्रपति द्वारा संसद को प्रत्यायोजन
- अनु 360 के तहत – वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा हस्तक्षेप

इस प्रकार केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधायन संभव है। परन्तु इस शक्ति के कुछ अपवाद भी हैं –

A] अनु० 371 'A' के अनुसार नागालैण्ड राज्य में राज्य ~~विधि~~ विधानमण्डल की अनुमति से ही केंद्रीय विधि का लागू होना

B] राज्यपाल को विशेष राज्यों में केंद्रीय विधि के स्वरूप परिवर्तन की शक्ति

C] UT क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति के पास विधि

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

निर्धारण की शक्ति।

इस प्रकार के प्रावधान संघीय व्यवस्था के कुशल संचालन एवं आपात परिस्थितियों से संरक्षा हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

Visit us : www.visionias.in

**14.** Explain the significance of the concept of 'separation of powers' in a democracy. What can be the reasons for India not following the doctrine in the strict sense?

लोकतंत्र में 'शक्तियों के पृथक्करण' की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारत द्वारा इस सिद्धांत का कठोर अर्थों में अनुपालन न किये जाने के क्या कारण हो सकते हैं?

## शक्ति पृथक्करण सिद्धांत

- मॉन्टेस्क्यू एवं जॉन लॉक जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत का महत्व स्थापित किया है जिसके अनुसार शासन के सभी अंगों की शक्तियों को अप्रभावी संलग्नता के साथ स्थापित किया जाना चाहिए।

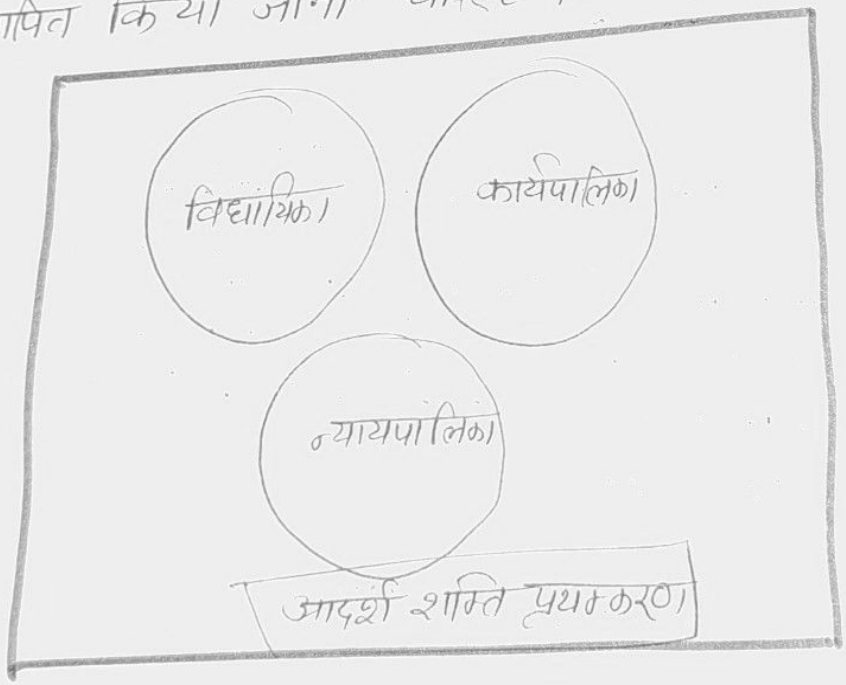


## शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का महत्व

- सभी अंगों के मध्य स्वातन्त्र्य
- आपसी हस्तक्षेप से मुक्ति
- डेडलॉक जैसी स्थिति से मुक्ति

## भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अनुपालन

भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आदर्श एवं पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके प्रावधान निम्न हैं –

### ① कार्यपालिका एवं विधायिका संबंध

↳ राज्य में कार्यपालिका का राजनीतिक हिस्सा स्वयं विधायिका से संबंधित है।

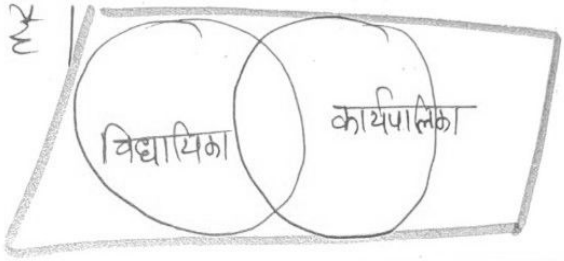


### ② न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका में हस्तक्षेप

↳ न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों को कभी-कभी प्रभावित करती है।

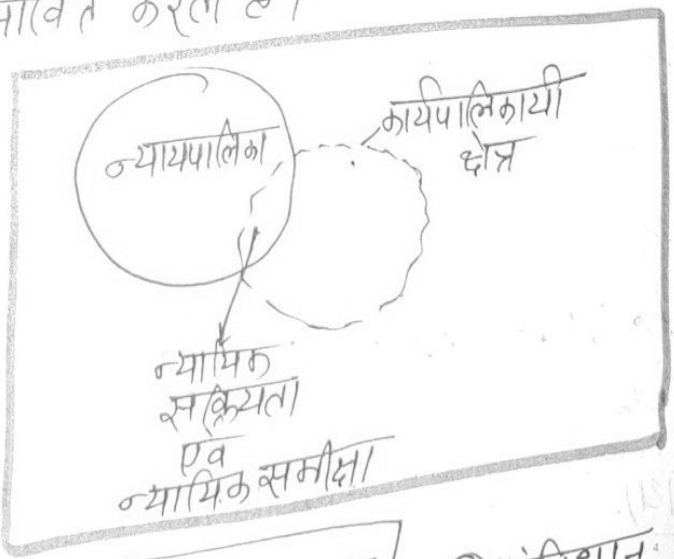


**अनुपालन न करने के कारण** → ① संविधान में चेक एंड बैलेंस के

उपागम का पालन किया गया है।

(2) भारतीय संविधान शक्तियों के पृथक्करण के स्थान पर 'प्रकार्यों के पृथक्करण' के सिद्धांत का अनुपालन करता है।

(3) किसी भी एक अंग की निरंकुशता के किसी भी संभावना का नाश

(4) प्रकार्यों की प्रकृति में समन्वय की आवश्यकता

(5) 'पूर्ण पृथक्करण' द्वारा डेडलॉक की स्थिति

(6) 'पूर्ण पृथक्करण' अनुत्तरदायी शासन को भी उत्पन्न कर सकता है।

उपर्युक्त कारणों से ही भारतीय संविधान में 'संयुक्त राज्य अमेरिका' के समान पूर्ण पृथक्करण सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है। हालांकि समय-समय पर अतिहस्तक्षेप एवं प्राधिकार के बाहर शक्ति प्रयोग के उदा० भारत में देखने को मिलते हैं।

यथा → कार्यपालिका द्वारा विधायिका की दशा एवं दिशा पर नियंत्रण
→ न्यायालय द्वारा कार्यपालिका के परिक्षेत्र में अतिक्रमण

Call us: 8468022022, 9019066066

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Explain the grounds on which a National Emergency can be declared and highlight its effects on Centre-state relations and Fundamental Rights.

उन आधारों की व्याख्या कीजिए जिन पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है एवं केंद्र-राज्य संबंधों और मूल अधिकारों पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर प्रकाश डालिए।

अनु० 352 के तहत भारतीय संविधान राष्ट्रीय आपातकाल की अनुशंसा करता है। इस उपबंध को 'अम्बेडकर' द्वारा आपात स्थिति से निपटने का शस्त्र बताया गया है।

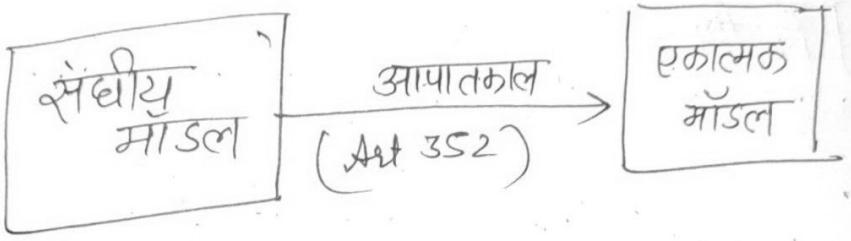




राष्ट्रीय आपात घोषणा के आधार →

1. सशस्त्र विद्रोह (44 वें संवि. संशो. द्वारा)
2. युद्ध
3. बाहरी आक्रमण

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव →

1. केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव →

i.i] विधायी शक्ति पर
- राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा विधायन की शक्ति
- आपात समाप्ति के 6 माह तक लागू

1.2] कार्यकारी शक्ति पर प्रभाव

- केंद्र सरकार राज्य को कार्यकारी शक्ति के निर्वहन हेतु आदेश दे सकती है
- राज्य के कार्यपालिका को कार्यकारी निर्णयों की पूर्ति हेतु निर्देश

1.3] वित्तीय शक्ति पर प्रभाव

- केंद्र सरकार राज्य के वित्तीय प्रावधानों में परिवर्तन कर सकती है
- वित्तीय वर्ष के अंत तक ये प्रावधान लागू रहेंगे, (जब तक आपातकाल चले)

## (2) मूल अधिकारों पर प्रभाव

(2.1) सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू आपातकाल में अनु० 19, 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे, शेष सभी मूल अधिकार निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को होगी।

(2.2) अन्य आधार पर (आक्रमण या युद्ध) आपातकाल में अनु० 20 व 21 के

VISION IAS™

अतिरिक्त शेष सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे।

इस प्रकार, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नागरिकों एवं गैर नागरिकों के मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं।

आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में आलोचना करते हुए HV कामथ ने इन्हें पुलिस राज स्थापना का शस्त्र बताया है। 'शाह आयोग' द्वारा भी 1977 तक के आपातकाल को आधार तौर बताया गया है।

परन्तु आपात स्थितियों से निपटने के लिए यह प्रावधान अपरिहार्य है। जिसका प्रयोग विवेकपूर्वक होना चाहिए।

Visit us : www.visionias.in

16. Analyze how the CAG ensures financial accountability of the Executive to the Legislature while working as an independent Constitutional body.
विश्लेषण कीजिए कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करते हुए CAG, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही को किस प्रकार सुनिश्चित करता है?

अनुच्छेद 148 के अंतर्गत संवैधानिक निकाय के रूप में CAG का उपबंध किया गया है।

CAG द्वारा कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चिति –

वस्तुतः CAG द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखी जाने वाली 'रिपोर्ट' कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। CAG द्वारा निम्न प्रकार्यों द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाता है –

वित्तीय ऑडिट
- संचित निधि के आय व्यय का
- आकस्मिकता निधि के आय व्यय का
- लोक निधि के आय व्यय का
- केंद्र एवं राज्य द्वारा आय एवं व्यय का
- केंद्र की (निगमित कंपनियों, पोषित कंपनियों, साझेदारी कंपनियों) का
- केंद्र द्वारा विभिन्न विभागों में रखे गए अकाउंट का ऑडिट

Don't write anything in this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

**परामर्श** → CAG लोक लेखा समिति का फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड होता है।
→ केंद्र एवं राज्यों के खातों के प्रारूप के विषय में सलाह देता है।

**कर प्रमाणन** → करों के शुद्ध आगम को CAG अंतिम रूप से प्रमाणित करता है

CAG के समक्ष वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में बाधाएं →

① 'पॉल H Appleby' के अनुसार CAG परिस्थिति एवं प्रशासनिक अज्ञानता के कारण प्रभावी नही है

② गुप्त सेवा व्यय — कई एजेंसियों द्वारा प्राप्त प्रमाणन की जांच CAG नहीं कर सकता।

③ सभी व्ययों की जांच तक पहुँच नही — 2013 के एक अनुमान के अनुसार 60% व्यय CAG की दृष्टि से बाहर है

④ सभी दस्तावेजों तक पहुँच नही — CAG विनोद राय के अनुसार 30% दस्तावेजों तक CAG की पहुँच ही नही है।

(5) उत्तर बजटीय नियंत्रण का अप्रभावी होना

(6) व्यय हो जाने के पश्चात CAG द्वारा ऑडिट में अनियमितता पाए जाने का कोई प्रभाव न पड़ना।

## भविष्य की रणनीति

(1) वित्तीय जवाबदेही तय करने हेतु ब्रिटेन मॉडल अपनाया जाए।
↳ व्यय से पूर्व नियंत्रण व्यवस्था।

(2) CAG विनोद राय की अनुशंसाएं
↳ UP को CAG के दायरे में लाना
↓ ↓ ↓
PPP PRI Public funded कंपनियां
↳ CAG की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम की स्थापना।

(3) कॉमनवेल्थ ऑडिटर्स कांफ्रेंस की अनुशंसाओं के अनुसार तकनीकी उत्कृष्टता की प्राप्ति

CAG वस्तुतः भारतीय संघ के वित्तीय केंद्र का नियंत्रक है। तथा निरंकुश वित्तीय अव्यवस्था को नियंत्रित करने में सफल रहा है।

उदा० – कोल स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम आदि

Call us : 8468022022, 9019066066

17. Highlight the veto powers of the President of India. How does the veto powers of the Governor differ from that of the President?
भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों पर प्रकाश डालिए। राज्यपाल की वीटो शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों से किस प्रकार भिन्न हैं?

अनुच्छेद 102 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को विधायिका के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर वीटो का अधिकार है।

**राष्ट्रपति का वीटो अधिकार**

**निलंबनकारी वीटो** – संविसंशो० 42 व 44 के पश्चात विधायिका द्वारा भेजे गए प्रस्तावित विधेयक को पुनर्विचार हेतु राष्ट्रपति भेज सकता है।
परन्तु,
दोबारा प्राप्त होने वाले विधेयक पर अनुमति देना अनिवार्य है।
→ इस प्रकार यह वीटो शक्ति मात्र कुछ समय के निलंबन पर आधारित है।

उदा० श्रद्धेय कलाम जी द्वारा लाभ के पद संबंधी विधेयक का लौटाया जाना।

**पॉकेट वीटो** → राष्ट्रपति द्वारा बिना कोई कार्यवाही किए विधेयक को अपने पास रखा जाना

**आत्यंतिक वीटो** → राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अस्वीकार किया जाना

VISION IAS™

↳ आत्यंतिक वीटो का प्रयोग प्रायः लोक सभा विघटन या COM की अनुशंसा पर ही होता है।

## राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की वीटो शक्ति में अंतर

| साधारण विधेयक | निलंबनकारी वीटो साधारण बहुमत से निरस्त | निलंबनकारी वीटो पर पुनः प्राप्त विधेयक को स्वीकरना अनिवार्य ~~अथवा~~ अथवा राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। |
|---|---|---|
| राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा सुरक्षित साधारण विधेयक | राष्ट्रपति → अनुमति प्रदान कर सकता<br>→ अनुमति रोक सकता<br>→ पुनर्विचार हेतु भेज सकता<br>→ 6 माह के भीतर पुनः पास होकर आए विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या | इस विधेयक की प्रक्रिया से राज्यपाल की शक्ति समाप्त |

Call us : 8468022022, 90 9066066



Visit us : www.visionias.in

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

| | | |
|---|---|---|
| | अनुमति को रोक सकता है। | |
| धन विधेयक | राष्ट्रपति धन विधेयक को — अनुमति दे सकता है या अनुमति रोक सकता है। | राज्यपाल — अनुमति दे सकता है (अथवा) अनुमति रोक सकता है (अथवा) राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित कर सकता है। |
| राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित धन विधेयक | राष्ट्रपति — अनुमति दे देता है (या) अनुमति नहीं देता है। (पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता है) | |

इस प्रकार राष्ट्रपति की वीटो शक्ति राज्यपाल की अपेक्षा अधिक विस्तृत है।

**18.** Even though the parliamentary system of government in India is largely based on the British parliamentary model it never became a replica of the British system. Elaborate.

यद्यपि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है तथापि यह कभी भी ब्रिटिश प्रणाली की प्रतिकृति नहीं बनी। सविस्तार वर्णन कीजिए।

भारत पर ब्रिटिश राज के लम्बे समय तक चले उपनिवेशवादी एवं साम्राज्यवादी शासन के फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था का प्रभाव भारतीय प्रणाली में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है →

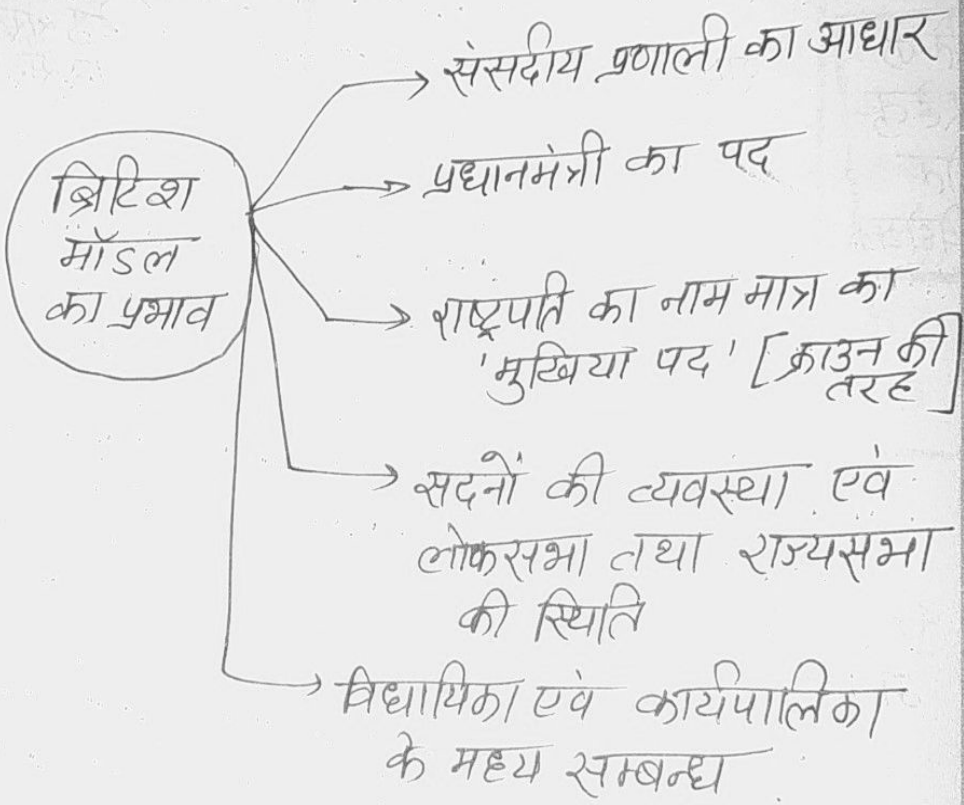


**ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भेद** →

भारतीय शासन व्यवस्था पूर्ण रूपेण ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की प्रतिकृति नहीं है और अग्रलिखित क्षेत्रक ब्रिटिश प्रणाली से भेद व

Call us : 8468022022, 9019066066
Visit us : www.visionias.in

VISION IAS™

Don't write anything in this margin (इस भाग में कुछ भी न लिखें)

अंतर को स्पष्ट करते हैं —

| | ब्रिटेन | भारत |
|---|---|---|
| i) लिखित संविधान | अलिखित संविधान ⇒ परम्पराओं पर आधारित व्यवस्था | लिखित संविधान ⇒ विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान |
| ii) शासन व्यवस्था की विकास-प्रक्रिया | विधि एवं विधान परंपरा एवं अभिसमय पर आधारित | संविधान सभा द्वारा विचार-विमर्श के द्वारा निश्चित |
| iii) सर्वोच्च स्थिति का स्थान | संसद को सर्वोच्च स्थिति | संविधान ही मूल शक्ति का स्रोत |
| iv) संघीय एवं एकात्मक स्वरूप | केंद्रित एवं एकात्मक स्वरूप | संघीय व्यवस्थाएं एवं केंद्रीकरण की प्रवृत्ति |
| v) प्रधानमंत्री का पद | मात्र हाउस ऑफ रिप्रेज़ेन्टेटिव्स के द्वारा गठित | दोनों सदनों को समान स्थान |
| vi) स्पीकर की स्थिति | आजीवन एवं निर्विरोध चयन तथा दलीय तटस्थता | दलीय रूप से तटस्थ नहीं |
| vii) न्यायपालिका की स्थिति | संसद पर कोई नियंत्रण नहीं | न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत |

Call us : 8468022022, 90 9066066 Visit us : www.visionias.in

| | | |
|---|---|---|
| viii) विधि का शासन | डायसी द्वारा प्रदत्त तीनों सिद्धांतों का पालन; नागरिक अधिकार ही सर्वोच्च | भारत में नागरिक अधिकारों की अपेक्षा संविधान की सर्वोच्चता |
| ix) राष्ट्रपति का पद | अनुवांशिक रूप से राजतंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप 'क्राउन' | निर्वाचित पद के रूप में राष्ट्रपति का पद |
| x) कार्यकारी प्रमुख का पद स्वरूप | 'King can do no wrong' के तहत कोई जवाबदेही नहीं | राष्ट्रपति हेतु महाभियोग का प्रावधान |

इस प्रकार ब्रिटिश प्रणाली के समानांतर भारतीय प्रणाली अनेक परिवर्तनों के साथ स्व-विवेक के अनुरूप प्रगतिशील है।

19. A number of judicial pronouncements and constitutional amendments have altered the balance between Fundamental Rights and Directive Principles of Sate Policy since the commencement of the constitution. Analyse.

संविधान के लागू होने के पश्चात से अनेक न्यायिक निर्णयों और संविधान संशोधनों ने मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के मध्य के संतुलन को परिवर्तित कर दिया है। विश्लेषण कीजिए।

नीति निदेशक तत्वों एवं मूल अधिकारों के मध्य आरंभ से ही टकराव की स्थिति रही है जिसका कारण है –

नीति निदेशक तत्वों के अनुपालन हेतु → मूल अधिकारों से समझौते की प्रकृति

**प्रमुख संविधान संशोधन**

⟹ प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जब 'उदारवादी परिवर्तनों' हेतु प्रथम बल्स' आरंभ हुई तभी नीति निदेशक तत्वों को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति पर विवाद खड़ा हुआ।

उदा० → अनु० 46 को लागू करने हेतु मूल अधिकारों में आरक्षण का उपबंध सम्मिलित किया गया।

⟹ तत्पश्चात अनु० 31-ख एवं 31-ग' के प्रस्तावित स्वरूप ने भी मूल अधिकारों के सापेक्ष नीति निदेशक तत्वों को अति उच्च स्थान पर

Visit us : www.visionias.in

प्रतिष्ठित कर दिया।

→ नवीं अनुसूची को किसी भी मूल अधिकार के हनन के विरुद्ध चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तथा अनु० 39-'ग' के तहत भी सभी नीति-निदेशक तत्वों को सम्मिलित कर लिया गया था।

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख निर्णय

(1) केशवानंद भारती केस – न्यायालय ने मूल अधिकारों में परिवर्तन को संवैधानिक करार दिया।
- मूल ढांचे की संकल्पना प्रस्तुत
- मूल अधिकारों में परिवर्तन से मूल ढांचे को क्षति नहीं होनी चाहिए
- अनु० 31 'ग' को सीमित किया गया।

(2) मिनर्वा मिल्स केस – संवि. संशो. द्वारा अनु० 31 'ग' के अंतर्गत सभी नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध अनु० 14 व 19 की समाप्ति के उपबंध रखे गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए

सचिवालय के संबंध में स्वयं निर्णय की शक्ति का अभाव

→ पदावधि की सुरक्षा
  → EC को CEC के समान सुरक्षा प्राप्त न होना
  → EC के ऊपर CEC का अभिभावी होना

→ पदमुक्ति के पश्चात पुनः अन्य पदों पर नियुक्ति संभव

**उपाय/सुझाव**

1. 255वें विधि आयोग की अनुशंसाओं को लागू करना।
2. पुनः नियोजन पर रोक अथवा कूलिंग ऑफ पीरियड का प्रावधान
3. EC को CEC के समान सुरक्षा।
4. स्वतंत्र सचिवालय स्थापना
5. व्ययों का संचित निधि पर भारित होना
6. तकनीकी अवसंरचना, फेक न्यूज नियंत्रण, वाहनों की जियो टैगिंग आदि प्रावधानों हेतु तकनीकी R&D

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

निम्न प्रावधान किए –

"अनु० 39 'ख' एवं अनु० 39 'ग' के लागू करने हेतु बनी विधि के अतिरिक्त अन्य किसी विधि द्वारा अनु० 14 व 19 के मूल अधिकारों की समाप्ति नहीं की जा सकती।"

इस प्रकार वर्तमान में अनु० 31 'ख' व 31 'ग' को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सीमित कर दिया गया है। और मूलतः मूल अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों के समक्ष उच्चतर स्थान दिया गया है।

20. Highlight the powers and functions of the Election Commission of India (ECI). Also, discuss the issues regarding the independence and impartiality of the ECI.

भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) की शक्तियों और कार्यों पर प्रकाश डालिए। साथ ही, ECI की स्वतंत्रता और निष्पक्षता से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिए।

अनुच्छेद 324 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग का उपबंध किया गया है।

## ECI की शक्तियाँ एवं कार्य

1. प्रशासनिक कार्य →
   - 1.1] चुनावों का पूर्ण संचालन
   - 1.2] निर्वाचन नामावलियों का प्रबंधन
   - 1.3] राजनीतिक दलों का पंजीकरण
   - 1.4] राजनीतिक दलों को मान्यता एवं स्तर निर्धारण
   - 1.5] राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न वितरण
   - 1.6] MCC का निर्माण एवं कार्यान्वयन
   - 1.7] चुनाव की कार्यप्रणाली एवं एजेंडा निर्धारण
   - 1.8] चुनावों के पश्चात मतगणना एवं परिणाम

2. सलाहकारी कार्य → 2.1] राष्ट्रपति को सांसद

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की निरर्हता पर सलाह

2.2] राज्यपाल को विधायक की निरर्हता पर सलाह

2.3] राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन के उपरांत चुनाव कराने संबंधी सलाह

3. अर्द्धन्यायिक कार्य → 3.1] चुनाव चिह्न वितरण संबंधी विवादों का निपटारा

3.2] चुनाव के दौरान विवाद का निपटारा।

3.3] चुनाव निरस्तीकरण संबंधी निर्णय

3.4] चुनाव की पूर्ण पर्यवेक्षण एवं निर्णय शक्ति

**ECI की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता संबंधी मुद्दे**

- नियुक्ति के संदर्भ में → कॉलेजियम का अभाव
  - राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना
- बजट एवं फंडिंग → आय एवं व्यय के संदर्भ में मंत्रालयों पर निर्भरता
  - राष्ट्रपति द्वारा वेतन का निर्धारण होना।
- कार्यबल एवं प्रशासनिक विषय → कार्यबल हेतु कार्यपालिका पर निर्भरता
  - अपने स्टाफ एवं